कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविपरिषद सम्बद्धता/2021/3557

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय ज्ञाप:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/आयोग लर्निंग ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा दीक्षा सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/06/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अखिल भारत सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता एवं से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न वर्णित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4233-SHRI BAJRANG INSTITUTE OF PHARMACY, VAKILIYAPUR, DIKAPUR, SADAR, GAZIPUR.

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/यू0पी0सी0ए0टी0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/यू0पी0सी0ए0टी0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित कुल तीन वर्षीय शुल्क पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30100.00 प्रतिवर्ष (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0 45000.00) प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की अवधि पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0 22500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश छात्रों/छात्राओं से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस को न्यूनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा अधिनियम तथा उस अधिनियम अन्तर्गत बनाये गये नियम विनियमावली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में मंजूर प्रवेश परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रहने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

CS Scanned with CamScanner

✓ संस्था को पाठ्यक्रम/शिक्षण/शिक्षक/छात्र के संबंधी कार्य हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

✓ संस्था उक्त प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियम/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्रशिक्षक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त शिक्षा शोध परिषद, उ0प्र0 तथा प्रशिक्षक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

✓ निर्धारित शुल्क के पाठ्यक्रम की संस्था यदि पी.टी.आई. नहीं चलाती है अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रशिक्षक शिक्षा परिषद, संयुक्त शोध परिषद, प्रशिक्षक शिक्षा निदेशालय एवं प्रशिक्षक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी शुल्क प्राप्त किया जाता है तथा शुल्क वापस के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संस्था अदेय घोषित किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

✓ निर्धारित शुल्क पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त शोध शोध परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश/शोध हेतु आवश्यकता प्रवेश होने से पूर्व पी.टी.आई. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा यदि प्रवेश की कार्यवाही के पश्चात संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश/शुल्क की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

✓ संस्था को अपने कर्मचारी का संस्था की समस्त सुविधाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुस्तकें, भवन, खेल मैदान, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

✓ संस्था को शिक्षण-शिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समुचित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रशिक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था अनावश्यक रूप से प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संबंधित संस्था की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।

✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एन0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता मानक के अनुसार की जायेगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्रशिक्षक परिषद सम्बद्धता/2021/3534-4819

दिनांक: 03/06/2021

प्रतिलिपि:

प्रधानाचार्य/निदेशक SHRI GAJRANG INSTITUTE OF PHARMACY, VAKULIYAPUR, ISKAPUR, SADAR, GAZIPUR.

Principal
Shri Gajrang Institute of Pharmacy,
Iskapur Gazipur

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

CS Scanned with CamScanner

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– प्रविप/परिषद सम्बद्धता/2020/1021 लखनऊ: दिनांक: 13-8-2020

–कार्यालय ज्ञाप–

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय मानकीकरण ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा निर्गत सत्र 2020-21 हेतु विभिन्न स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को आयोजित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की बैठक में विचार कार्यवाही में लिया जाना हुआ। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अतिरिक्त नई सम्बद्धता की सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थानों को सम्बद्धता विस्तार/सम्बद्धता/अंशकालिक/दूरस्थ शिक्षा अंक सूची पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पृष्ठ-2 में विभिन्न स्तर पर प्रवेशित पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा पहले बिन्दु-बिन्दु पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया –

– निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा स्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी0सी0आई0 द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी0सी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी0सी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक के लिये उत्तर प्रदेश निजी के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नवर्णित सर्वे के अंकित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है –

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी0सी0आई0 /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4003	श्री [illegible] इंस्टीट्यूट ऑफ [illegible], [illegible] [illegible]	डिप्लोमा इन [illegible]	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ [illegible] पी0सी0आई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेंगी।
- ✓ संस्था [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं [illegible] प्राविधिक शिक्षा [illegible] [illegible] द्वारा सत्र [illegible] निर्धारित [illegible] का अनुपालन करेगी तथा कुल निर्धारित धनराशि [illegible] द्वारा संबंधित इकाई सम्बद्धता हेतु रू0 [illegible]/- प्रतिवर्ष, से अधिक शुल्क पाठ्यक्रम हेतु रू0 [illegible]/- प्रतिवर्ष तथा [illegible] के अतिरिक्त [illegible] के अतिरिक्त हेतु रू0-[illegible]

(Dr. [illegible])
Secretary-Director

[illegible]

✓ [illegible] प्रतिवेदन [illegible] 2000 [illegible] विधि [illegible] अधिनियम-2000 की धारा का अनुपालन करना होगा।

✓ [illegible] के अनुसार [illegible] की स्थापना के उपरान्त उक्त [illegible] की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।

✓ [illegible] के अनुसार [illegible] के अनुसार निर्धारित [illegible] का पालन सुनिश्चित करना होगा।

✓ [illegible] के लिए [illegible] अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

✓ [illegible] अधिनियम, [illegible] के लिए [illegible] होगी।

✓ [illegible] के अनुपालन [illegible] की कार्यवाही के लिए [illegible] अनुपालन होगी। [illegible] विधि [illegible] अधिनियम, [illegible] अधिनियम, [illegible] के [illegible] किसी [illegible] के लिए [illegible] होगी।

✓ [illegible] के अनुपालन [illegible] की कार्यवाही [illegible] अनुपालन करना [illegible] होगा।

✓ [illegible] के अनुपालन [illegible] के लिए [illegible] अनुपालन करना [illegible] होगा।

✓ [illegible] 2000 की धारा [illegible] के अनुपालन [illegible] होगा।

✓ [illegible] के अनुसार [illegible] की प्रमाणित प्रति [illegible] होगी।

✓ [illegible] के अनुसार [illegible] के लिए [illegible] होगा।

✓ [illegible] के अनुपालन

कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या– प्रशि०/परिषद सम्बद्धता/2018/[illegible] अंकन: दिनांक 15-5-2018

–कार्यालय ज्ञाप–

प्रदेश शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को सत्र 2018–19 हेतु विभागीय मान्यता सम्बन्धी विहित शर्तों को अनुपालन प्राप्त किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता नवीनीकरण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2018 को निदेशक, बेसिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की उपस्थिति में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2018–19 हेतु अर्हतित नई [illegible] को सम्बद्धता/पुनः से सम्बद्धता संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/नवीनीकरण/प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु सत्र 2018–19 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की दिनांक 15 मई–18 को विभागीय मान्यता सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करने वाली नई संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया –

"ऐसी स्ववित्तपोषित निजी डिग्री कॉलेज इन शर्तों की संस्थाओं जिन्हें सत्र 2018–19 हेतु एस०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परन्तु पी०सी०आई० द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निदेशालयीय स्तर से एस०टी०ई०टी० द्वारा अनुमोदित महाविद्यालयों के अनुरूप सत्र 2018–19 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को डिग्री इन शर्तों की आवश्यकता के प्रकाश में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2018–19 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व पी०सी०आई० अनुमोदन एवं परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही की जायेगी।"

उक्त निम्नानुसार सम्बन्धित संस्था एवं परिषद की निरीक्षण समिति एवं विभाग–निदेशक द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० से सम्बद्धता प्राप्त सत्र 2018–19 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र० सं०	संस्था का नाम	संस्था का पता	कार्यक्रम के नाम	[illegible] द्वारा सत्र 2018–19 के अनुमोदित प्रवेश क्षमता	[illegible] द्वारा सत्र 2018–19 के अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

अनुबन्ध हेतु शर्तें

✓ [illegible]

✓ [illegible]

Scanned with CamScanner

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

([illegible] सिंह)
[illegible]

क्रमांक- [illegible]/[illegible]/2016/[illegible] नई दिनांक: [illegible]-6-2016

प्रतिलिपि-[illegible]/निदेशक की अधीन [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]।

([illegible] कुमार सिंह)
[illegible]

Principal
[illegible]
Rai Jagran Chandra